


**फर्द अहकाम**  
(नियम 26)

अज अदालत — उपखण्ड अधिकारी मुकाम — जहाजपुर (भीलवाडा)

सुरेन्द्र सिंह पिता पहाडसिंह राजपूत नि. जोजर  
बनाम

दौलत सिंह पिता हरीसिंह राजपूत नि. जोजर वगैरा

किरम मुकदमा प्रा0 पत्र 111, 128 एल. आर. ए. मुकदमा नं. 1153/2021

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तारीख में जारी हुये
21.11.21	<p>प्रार्थना पत्र प्रशासन गोंवों के संग अभियान में पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम जोजर प. ह. शक्करगढ तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 83, 136, 137, 209, 211, 212 कुल किता 6 रकबा 1.9426 है. स्थित है। उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडौसी अप्रार्थीगण है। परन्तु उक्त पडोसीगण को सीमा बिन्दु की पुख्ता जानकारी नहीं होने से आये दिन हंकाई, बुवाई, कटाई के समय अक्सर सीमा बिन्दु को लेकर विवाद होता रहता है। प्रार्थी अपनी भूमि के चारों ओर लोहे की जालियाँ लगाना चाहता है। अप्रार्थीगण प्रार्थी को रोकते हैं। अतः पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की तारीख में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मैने पत्रावली का अवलोकन कियां सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी सम्बत 2075 से 2078 तक के अवलोकन से पत्थरगढी किये जाने वाली भूमि प्रार्थी के स्वामित्व की हैं। पडोसियान के विवाद करने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा भूमि ग्राम जोजर प. ह. शक्करगढ तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 83, 136, 137, 209, 211, 212 कुल किता 6 रकबा 1.9426 है, की बसामलात पडोसियान के पत्थरगढी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक शक्करगढ को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 1500- रु. तय किये जाते हैं। जो प्रार्थी गौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रु. राजकोष में जमा करावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पालना रिपोर्ट शिघ्र प्रस्तुत करे।</p> <p>आदेश आज दिनांक 21.11.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">               उपखण्ड-अधिकारी,              जहाजपुर(भीलवाडा)         </p>	